न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

वाद पत्र संख्या – 97/2018 उनवान– प्यारेलाल बनाम पूर्णाराम आदि

| आदेश | कार्यवाही विवरण | अनु क. दि. |
|---|---|---|
| 18.01.2019 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम घोडीवाराखुर्द की सरहद में भूमि पुराने ख.न. 154 तादादी 27 बीघा 15 बिश्वा पुख्ता स्थित थी जिसकी पुरानी जमाबंदी वादी के पूर्वजों के नाम की पेश है। पुराने मूल ख.न. की कृषि भूमि फैमेली सेटलमेन्ट के अनुसार विभाजन हो जाने पर जिसके नये बट्टे ख.न. 154/2 तादादी 9 बीघा 2 बिश्वा पुख्ता की खातेदारी आवेदक के पिता सांवल के नाम दर्ज हुई है। जिसका खातेदार काश्तकार आवेदक है तथा ख..न. 154/1 तादादी 9 बीघा 1 बिश्वा की खातेदारी स्व0 रूपाराम के नाम दर्ज हुई जिसके खातेदार काश्तकार अनावेदकगण नं. 1 लगायत 3 है और ख.न. 154/3 तादादी 9 बीघा 2 बिश्वा की खातेदोरी स्व0 हनुमान के वारिसानक नाम दर्ज हुई है जिसके खातेदार काश्तकार अनावेदकगण नं. 4 लगायत 6 है। इसके पश्चात उक्त उक्त कृषि के नये ख.न 263/2.10, 264/2.40, 384/280/0.04 एवं 259/2.35 है0 पडे हैं। गत ख.न. 154 तादादी 27 बीघा 5 बिश्वा पुख्ता में से आवेदक के हिस्से व खातेदारी का रकबा 9 बीघा 2 बिश्वा पुख्ता का गुणात्मक क्षेत्रफल के अनुसार रकबा 2.30 है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही किया गया है बल्कि आवेदक का हिस्सा 0.20 है0 कम दर्ज किया जाकर रकबा 2.10 है0 की खातेदारी दर्ज की है और अनावेदकगण सं0 1 लगायत 6 के पक्ष में हिस्से से ज्यादा भूमि की खातेदारी गलत तरीके से दर्ज कर दी है। जिसके अनावेदक सं0 1 लगायत 6 के विरूद्ध अनुतोष चाहने बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। उक्त कृषि भूमि को आगे प्रश्नगत भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। पुराने राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रशनगत भूमि के पुराने ख.न. 27 बीघा 5 बिश्वा पुख्ता है जिसका क्षैत्रफल 6.89 है0 जिसमें 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार आवेदक है और 1/3 हिस्से का खातेदार अनावेदक नं. 1 लगायत 3 एवं 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार अनावेदकगण नं. 4 लगायत 6 है। इसी प्रकार से पुराने राजस्व रिकार्ड में खातेदारी सही दर्ज है और काबिज व आबाद रहे हैं तथा प्रशनगत भूमि में आवेदक के 1/3 हिस्से के मुताबिक तादादी 9 बीघा 2 बिश्वा पुख्ता यानी रकबा 2.30 है0 का आवेदक खातेदार काश्तकार है लेकिन नई पैमाईश के दौरान राजस्व कर्मचारियो ने आवेदक के हिस्से व खातेदारी की प्रशनगत कृषि भूमि का रकबा 2.30 है0 के स्थान पर रकबा 2.10 है0 दर्ज कर दिया है अर्थात आवेदक का 0.20है0 कम दर्ज कर दिया है जिसको अनावेदकगण सं0 1 लगायत 6 के हिस्से की भूमि में मिलाकर ज्यादा भूमि का रकबा दर्ज किया है। यानी आवेद के हिस्से की भूमि का रकबा 0.20है0 को दो भागों में बांटकर 0.10 है0 भूमि अनावेदकगण नं. 1 लगायत 3 के नाम दर्ज की है और 0.10 है0 भूमि अनावेदकगण नं. 4 लगायत 6 के नाम दर्ज की है। इसप्रकार नई पैमाइश वालों व राजस्व कर्मचारियों को बदलने व हिस्से में कम ज्यादा भूमि दर्ज करने का कोई कानूनी हक नही है। अनावेदकगण मुकदमेबाज व्यक्ति हैं इस कारण अनावेदकगण जबरन कानून को हाथ में लेकर आवेदक की प्रश्नगत भूम पर नाजायज कब्जा करने के लिये आमादा है और आवेदक के आने जाने के पुराने रास्ते को बदलना चाहता है जिससे आवेदक के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। इसलिये अनोदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना निहायत जरूरी है अतः प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है। प्रशनगत भूमि की सीमा में पुराने राजस्व रिकार्ड के अनुसार खाई बाड में मेडबंदी एवं तारबंदी आदि करने में कोई अवरोध पैदा नही करे तथा पुराने राजस्व | |

नष्ट करके नुकसान नही पहुंचाये व किसी भाग पर अतिक्रमण व कब्जा नही करें।तथा आने जाने का रास्ता के संबंध में कोई वेग व विधिविरूद्ध कार्यवाही रही करे तथा रास्ता की लोकेशन व जगह नही बदलें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तलबी अनावेदकगण की गई। अनावेदकगण नोटिस तामील के उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः बहस प्रार्थना पत्र वकील आवेदकगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वाद का निर्णय पक्षकारान को सुना जाकर बाद प्रस्तुत शहादत साक्ष्य के आधार पर गुणावगुण के आधार पर होना है। अतः तादावा निर्णय पक्षकारान के मध्य वाद बहूलता नही बढे इसे मध्य नजर रखते हुये तथा प्रथम दृष्टया मामला आवेदक का होने के कारण प्रार्थना पत्र आवेदकगण स्वीकार किया जाता है। अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम घोडीवाराखुर्द की सरहद में स्थित गत ख.न. 154 तादादी 27 बीघा 5 बिश्वा पुख्ता में से 1/3 हिस्से के मुताबिक ख.न. 154/2 तादादी 9 बीघा 2 बिश्वा के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग एवं सीमा में पुराने राजस्व रिकार्ड के अनुसार खाई बाड व मेडबंदी व तारबंदी आदि करने में कोई अवरोध पैदा नही करे तथा प्रशनगत जमीन के सीमा को सही स्थिति कायम रखें व किसी प्रकार का कब्जा आदि नही करें तथा प्रशनगत भूमि में आने जाने का रास्ता की अन्य जगह नही बदले। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो तथा मूल वाद के सलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ